= जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन =

प्रेषक

नन्दकिशोर अग्रवाल — 23177 — मो0- 9889893967

म0नं0126 लक्ष्मणगंज — 4-4-22

PIO-Prop — दिनांक: 28.3.2022

नरिया बाजार झांसी

जिला झांसी (उ0प्र0) 284002 — RTI-20450

5/4/22 — PIO Property 5/4/22

सेवामे

जनसूचना अधिकारी
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लाट नं0-1, सेक्टर नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा
जिला-गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0) 201310

BH506

विषय:- जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाये प्रदान किया जाना।

महोदय,

मुझ आवेदक को कुछ आवश्यक सूचनाओं की आवश्यकता है जिन्हे जनसूचना अधिकार अधिनियम2005 के तहत उपलब्ध करायाजाना आवश्यक व न्यायोचित है।

अतः आप निम्नलिखित सूचनायेजनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपलब्ध कराने की कृपा करे-

= चाही जा रही सूचनाये=

1- कृपया बताये कि भवन संख्या सी-280 ओमिक्रान-2 को जब अजमुल हसन जैदी व श्रीमती मरियम जैदी द्वारा हेमन्त अग्रवाल व श्रीमती प्रियंका अग्रवाल के हक मे माह मई 2018 मे ट्रांसफर किया था उस समय अजमुल हसन जैदी व श्रीमती मरियम जैदी व हेमन्त अग्रवाल एंव श्रीमती प्रियंका अग्रवाल सभी के द्वारा जो जो दस्तावेज तहरीर करवाये गये थे क्या वही वही दस्तावेज हेमन्त अग्रवाल व श्रीमती प्रियंका अग्रवाल द्वाराउक्त भवन को श्री राकेश कुमार तनय श्री भूपाल सिंह कोहस्तान्तरित 24-2-2021 को किया गया जाना बताया जा रहा है, वही वहीदस्तावेज तहरीर हेमन्त अग्रवाल, श्रीमती प्रियंका अग्रवाल व राकेश कुमार से तहरीर करवाये गये है,?

2= कृपया बताये कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यालय मे हो रहे फर्जी बाडे, कूटरचित फर्जी दस्तावेज तैयार किये जा रहे, व अधिकारीगण आपस मे साजिशकिये है तथा उक्त कूटरचित दस्तावेज तैयार करने

से लगे हुये है इन अधिकारियो के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु क्या किसी उच्चाधिकारियो की अनुमति लेने की आवश्यकता पडती है

3- कृपया बताये कि क्या उक्त अधिकारियोके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु अनुमति के बिना उनके विरूद्ध कार्यवाही नही की जा सकती?

4- कृपयाबताये कि अधिकारियो के विरूद्ध (ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियो के विरूद्ध) कार्यवाही करने हेतुअनुमति लेना आवश्यक है तो उक्त अनुमति किस अधिकारी से लेना पडेगी उक्त अधिकारी का नाम व पता बताये।

5- क्या किसी पत्र पर व्हाईटर लगाकर व उस पर अलग से अंकित किया जाना वैधानिक है ?

6- क्या व्हाईटनर लगा पत्र जिस अधिकारी द्वारा प्रेषित किया जाता उस अधिकारी के विरूद्ध व्हाईटनर लगाकर रददो बदल करने के कारण विभागीय स्तर पर कार्यवाही की जा सकती है।

7- कृपया बताये कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियो के विरूद्ध उनके द्वारा किये जा रहेकूटरचित दस्तावेज तैयार करने,आपसमे साजिश व षडयन्त्र करने के कारण उनके विरूद्ध उच्चाधिकारिय ~~[illegible]~~ से कार्यवाही करवाने हेतु अथवा स्वंय कार्यवाही करने हेतु किसप्रक्रिया को अपनाना पडेगा,।

8- यदि कोई निम्न अधिकारी,उच्च अधिकारी के आदेश का पालन न करके उनके आदेश की अवमानना,उल्लंघन करता है तो उक्त निम्नअधिकार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है,बताये।

9- यदि कार्यवाही की जा सकती है तो उक्त कार्यवाही किस अधिकारी द्वारा की जा सकती है,बताये।

10- यदि निम्न अधिकारी द्वारा उच्च अधिकारी के आदेश की अवमानना व अवहेलना करता है व उसके विरूद्ध उच्च अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नही की जाती है तो उसके विरूद्ध कहां पर कार्यवाही की जायेगी बताये।

--उपर

11- हेमन्त अग्रवाल व प्रियंका अग्रवाल द्वारा उक्त भवन संख्या-सी-280 ओमिक्रोन-2 राकेश कुमार को ट्रांसफर किया गया, उक्त [redacted] ट्रांसफर फार्म की प्रमाणित पूर्ण प्रति प्रदान करें।

12- कृपया बताये कि निम्न अधिकारी व उच्च अधिकारी अपना नाम व पदनाम भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग कर सकता है?

नोट:-

10/-रूपया का पोस्टल आर्डर संख्या- 56एफ- 055307 संलग्न है।

भवदीय

28.3.2022

दिनांक 28.03.2022

(नन्दकिशोर अग्रवाल)
म0नं0 126 लक्ष्मणगंज, नरिया बाजार
झांसी जिला झांसी (उ0प्र0) 284002
मोबाईल नं0- 9889893967